

पत्रावली पेश। वादी अनुपास्थित। वादी वकील अनुपास्थित।
 पिछली पेशी पर भी अनुपास्थित। न्यायहित में उपास्थित
 रहने का प्रवर्णन दिया था। परंतु उपास्थित नहीं है।
 न्यायालय समय में अलग-अलग समय
 पर आवाजे दी गई। वादी पक्ष की तरफ से
 कोई उपास्थित नहीं। अब न्यायालय समय
 समाप्त होने जा रहा है। पुनः एक बार आवाज
 लगाई गई। कोई उपास्थित नहीं। अतः वाद
 वादी पक्ष की अपूर्ण धोखे की व अदम सजरी में खारिज
 किया जाता है। पत्रावली शुभारंभ से लगे हुए
 से कम लेटर वकील दाखिल दफ्तर हो।



(Signature)
 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (आस्ट्रेट)
 जोधपुर